न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 348–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 06–11–2012 पारित द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर के प्रकरण कमांक 103/2010–11/स्वमेव निगरानी.

.....

श्री आफीसर पुत्र श्री सरनामसिंह
निवासी ग्राम तुरारी तहसील व जिला ग्वालियर

..... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदक

.....

श्री एन0डी0शर्मा, अभिभाषक–आवेदक
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, पेनल अभिभाषक–अनावेदक शासन

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9।11।2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–11–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार मुरार का व्यवस्थापन प्रकरण कमांक 52/94–95/अ–19 श्री ऑफीसर विरूद्ध शासन में अवैध व्यवस्थापन आदेश दिनांक 30–1–95 पारित किये जाने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला ग्वालियर को प्राप्त होने पर कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर प्रकरण कमांक 103/2010–11/स्व.निगरानी दर्ज किया गया । कलेक्टर द्वारा कार्यवाही की जाकर दिनांक 6–11–12 को आदेश पारित

कर नायब तहसीलदार वृत्त 3 मुरार ग्वालियर के प्रकरण कमांक 52/94–95/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 30–1–1995 निरस्त किया गया तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी झॉसी रोड ग्वालियर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया, साथ ही नायब तहसीलदार वृत्त–3 मुरार जिला ग्वालियर द्वारा की गई अनियमितता के कारण उनके विरूद्ध शख्त कार्यवाही हेतु प्रस्ताव वरिष्ठ न्यायालय को भेजे जाने के लिये आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी स्थापना को दी गई । कलेक्टर जिला ग्वालियर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा यदि व्यवस्थापन प्रकरण में विधिवत् इश्तिहार का प्रकाशन नहीं किया गया है तो इसके लिये पक्षकार दोषी नहीं है, अतः नायब तहसीलदार की गलती के लिये पक्षकार को दण्डित नहीं किया जा सकता है । यह भी कहा गया कि नायब तहसीलदार का व्यवस्थापन आदेश वर्ष 1995 का है, और कलेक्टर द्वारा उसे वर्ष 2011 में स्वप्रेरणा से निगरानी में लगभग 15 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से लिया गया है, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के अनेकों न्यायदृष्टांत है कि स्वप्रेरणा से निगरानी में प्रकरण को लेने के लिये 180 दिवस की समय सीमा निर्धारित है, इसके पश्चात् स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही अत्यधिक विलम्ब से मानी गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का वर्ष 1984 के पूर्व का कब्जा है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होंगे क्योंकि यह प्रकरण मध्यप्रदेश दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना (विशिष्ट उपबंधों) विनियन 1984 के अन्तर्गत है । उनके द्वारा कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी में पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिक रूप से प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन किया गया है, अतः कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर

तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये यह निगरानी निरस्त की जाकर कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी में पारित आदेश उचित होने से स्थिर रखा जाये ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् प्रकरण में इश्तिहार का प्रकाशन नहीं किया गया है और आवेदक का वर्ष 1984 के पूर्व से कब्जा मानकर मध्यप्रदेश दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमि का आवेदक के पक्ष में व्यवस्थापन किया गया है, जबकि तहसील न्यायालय द्वारा इस प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं ली गई है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का वर्ष 1984 के पूर्व से कब्जा है, न ही तहसील न्यायालय के प्रकरण में कोई दस्तावेज संलग्न है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का वर्ष 1984 के पूर्व से कब्जा है। अतः कलेक्टर द्वारा इसी निष्कर्ष के साथ तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् इश्तिहार का प्रकाश नहीं किया गया है और प्रश्नाधीन भूमि पर वर्ष 1984 के पूर्व से आवेदक का कब्जा होने की जॉच भी नहीं की गई है । इस प्रकार बिना राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों का पालन किये व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया है जो कि पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् इश्तिहार का प्रकाशन नहीं किया गया है। इसके लिये आवेदक दोषी नहीं है, क्योंकि वरिष्ठ न्यायालय द्वारा संहिता के प्रावधानों के अनुरूप अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही एवं पारित आदेश की वैधानिकता का परीक्षण किया जाता है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क भी अमान्य किये जाने योग्य है कि कलेक्टर द्वारा 15 वर्ष पश्चात् प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर कार्यवाही करने में त्रुटि की गई है, जबकि अनेक न्यायदृष्टांत है कि आदेश पारित होने के 180 दिवस के अन्दर प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जा सकता है, कारण तहसील न्यायालय के पूर्णतः अवैधानिक एवं

क्षेत्राधिकार रहित आदेश को समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर स्थिर रखना वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–11–2012 स्थिर रखा जाता है निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर